

प्रारूप सं० 30

FORM - I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 365/26-169 (2016-17)

Dated 26/07/2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.8725** hact. of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Works Department, Kirtiagar** for **Construction of Khajra Bainjwari Motor to Barsila Poth Manjuli Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of **Manjuli Villages** in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

- a) the complete process for identification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **1.8725** Hac. of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **30** to annexure 30.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(**सोनिका**)
 (**जिला अधिकारी**)
Distt. Collector
टिहरी गढ़वाल

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri (सोनिका) I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Devprayag** Block area measuring **1.8725 Hectare** for the construction of **Khajra Bainjwari Motor to Barsila Poth Manjuli Motor road** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

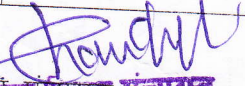
(सोनिका)
जिला अधिकारी
District Collector cum chairman

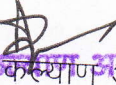
District Tehri Garhwal
New Tehri

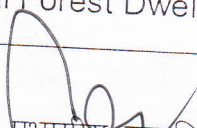
11-4-07

It is further certified that – Minutes of meeting of Khajra Bainjwari Motor to Barsila Poth Manjuli Motor Road (4.00 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.8725 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.


जिला समाज कल्याण अधिकारी
प्रती डायर
टिहरी गढ़वाल
चन्द्रपाल सिंह चौहान


जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
टिहरी गढ़वाल


प्रभाग क्षेत्र वन अधिकारी
प्रभाग क्षेत्र वन अधिकारी
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
नि. की. रेती
मुनिकीरेती

Signature

()
(सोनिका)
Distt. Collector
टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा देवप्रयाग में खजरा बेंजवाड़ी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड देवप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत खजरा बेंजवाड़ी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग

(1.7675 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.1050 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.8725 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग) की दिनांक 03/15/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती नूपुर कर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्रीमती नूपुर कर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री डी.पी. बल्लो	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री राजीव सिंह बल्लि	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4-	श्रीमती मीना देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य

(5) श्री कर्मा सिंह बल्लि

बी.डी.सी. क्षेत्र

सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि खजरा बेंजवाड़ी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.8725 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग, उपवन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड देवप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत खजरा बैजवाड़ी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पोथ गनजुली तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.9725 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप. जिलाधिकारी/अध्यक्ष 
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—कीर्तिनगर
जनपद—हिंदी (गढ़वाल)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, हिंदी (गढ़वाल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु।

उप. जिलाधिकारी/अध्यक्ष 
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—कीर्तिनगर

जनपद.....

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा देवप्रयाग में खजरा बेंजवाड़ी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

दिनांक

03/05/17

जनप्रद-

उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

1.	श्रीमती नूपुर वर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	 उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर देहरादून
2.	श्री डी.पी. कलौष	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	 उप प्रभागीय वनाधिकारी (देवप्रयाग) नरेन्द्रनगर वन प्रयाग
3.	श्री राजीव सिंह बत्वाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	 K.S. J. A. D.
4.	श्री मती मीनादेवी	वी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	 श्रीमती मीना देवी क्षेत्र संकाय सदस्य देहरादून

(5) श्री कर्ण सिंह बत्वाल बी.डी.सी. क्षेत्र सदस्य

कर्ण सिंह
सदस्य-क्षेत्र संकाय
बेंजवाड़ी राडागाड
कि०मी०- कीर्तिनगर देहरादून
कर्णसिंह बत्वाल
3-5-2017

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा देवप्रयाग में खजरा बेंजवाड़ी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - डागर, बेंजवाड़ी
तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड देवप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत खजरा बेंजवाड़ी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (1.7675 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.1050 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.8725 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डागर द्वारा दिनांक 10/12/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नैखरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

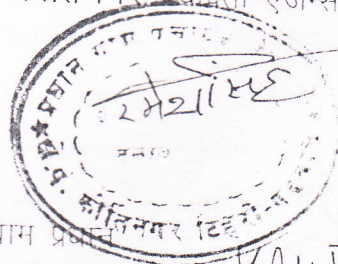
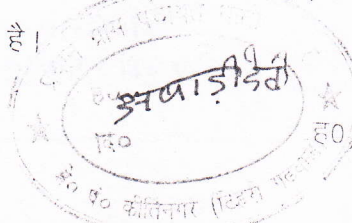
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

डागर, बेंजवाड़ी

ग्राम पंचायत सदस्य

आली डागर



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

जिलाधिकारी

कोशिका प्रमुख

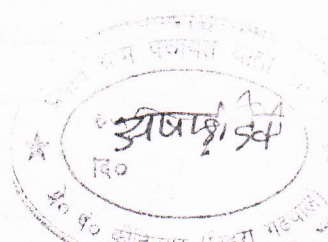
प्रपत्र-23.1

दिनांक 10/3/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
 ग्राम पंचायत/डांगर गाव - 59

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरेश लाल	
2	पुनम कलंडा	
3	कुंवर सिंह कलंडा	
4	मोर सिंह कलंडा	
5	पताप सिंह कलंडा	
6	मकान सिंह कलंडा	
7	डोण सिंह कलंडा	
8	मकान सिंह कलंडा	
9	कुंदन सिंह राणा	
10		

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक अभियंता
 अस्थाई एच. सो. नि. वि.
 धौनगर-मु. कीर्तिनगर टि. स.



ह0/-

ग्राम प्रधान/डांगर गाव

दि. 10/3/2017

23/3/2017

प्रपत्र-23.1

दिनांक 10/3/07 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बैजवाडी डांगर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बुद्धि सिंह पवार	बुद्धि सिंह
2	रघुवीर सिंह भठंडारी	रघुवीर सिंह
3	रामदास	रामदास
4	प्रेमलाल	प्रेमलाल
5	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
6	करी सिंह	करी सिंह
7	पूर्ण सिंह	पूर्ण सिंह
8	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
9	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
10	रुक्म सिंह	रुक्म सिंह
		करी सिंह
		सदस्य-क्षेत्र पंचायत
		बैजवाडी डांगर
		वि०स०- कीर्तिनगर टि०ग०
		करी सिंह चर्वाल

सेवा में

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल।

979
4510
31-0-16

फाइल 1928/43 सी०

दि 21/9/16

प्रतिनिधि सभा जिला की 8-4-16

स्व. ज्ञान सिंह काटवाही हिंदु प्रेषि.

1/10/16

विषय: खधरा देववाड़ी-पोथमंजली मोटर मार्ग सर्वेक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,
निवेदन है कि उक्त मोटर मार्ग का सर्वेक्षण आपके द्वारा कई बार किया गया परन्तु स्थानीय जनता की सहमति न बन पाने के कारण सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है किन्तु महोदय अथ निम्न प्रकार से उक्त संदर्भित मोटर मार्ग निर्माण हेतु सहमति बन गई है।

बांदणी नामी लोक से श्रीमती गेंदा देवी के खेतों से होते हुए श्री प्रताप सिंह कलेठा की मकान के पास से होते हुए श्री मोर सिंह कलेठा के चरागाह से होते हुए श्री पदम सिंह नेगी की मकान से आगे श्री स्वयं सिंह नेगी, श्री प्रेम सिंह नेगी, श्री गोतम सिंह नेगी के खेतों से होते हुए श्री कुन्दन सिंह राणा के खेतों से होते हुए श्री कुन्दन सिंह राणा के मकान के नीचे से और श्री मोर सिंह कलेठा के मकान के ऊपर से होते हुए स्वर्गीय ज्ञान सिंह राणा के मकान से होते हुए श्री कुन्दन सिंह राणा, श्री रातेसिंह नेगी, श्री जयशंकर नेगी, श्री महाजन सिंह नेगी, स्व० श्री सूरज सिंह नेगी, श्री मूर्तिसिंह नेगी, श्री राय सिंह नेगी के खेतों से होते हुए उकल्ला नामी लोक में बँड देने पर श्री ज्ञानसिंह कलेठा, श्री मकान सिंह कलेठा श्री मकान सिंह नेगी श्री सूर्यपाल सिंह रावत, श्री जीत सिंह रावत, स्व० श्री सरांप सिंह जयाडा, श्री अजमेर सिंह जयाडा के खेतों से होते हुए मजली ग्राम सभा से होते हुए श्री भल्लू महादेव तक स्थानीय लोगों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित मोटर मार्ग का सर्वेक्षण करने का कष्ट करें।

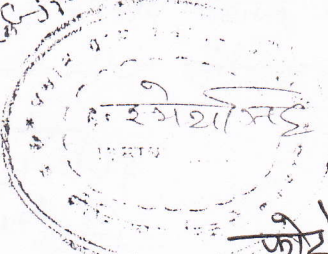
श्री मोर सिंह मेहरासिंह
कुंवर सिंह - जयसिंह
प्रताप सिंह - जयसिंह
पदम सिंह - पदमसिंह
देवचन्द सिंह - देवचन्द सिंह
महमद सिंह



प्रार्थिनी
पुष्पा देवी
श्रीमती पुष्पा देवी
महिला संगठन हिन्दुस्तानी दान (मोड़)
महिला संगठन दल धौली, जयपुर नगर
कीर्तिनगर, टिहरी

प्रतिलिपि: माननीय शिक्षा एवं पंजीयन मंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून, उत्तराखण्ड को सूचनाएं भेजी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महमद सिंह - जयसिंह
पुष्पा देवी - जयसिंह
पुष्पा देवी - जयसिंह



श्रीमती पुष्पा देवी
अध्यक्ष
पुष्पा देवी
महिला संगठन दल धौली दान (मोड़)
महिला संगठन दल धौली, जयपुर नगर
कीर्तिनगर, टिहरी

10

ग्राम मुख कार्यालय

ग्राम प्रमुख देवत

ग्राम पंचायत - बीजवाड़ी, पट्टी डागर, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

रमेश सिंह भण्डारी
ग्राम प्रधान

ग्राम - बीजवाड़ी, पो0 - जाखी डागर
पि0 ख0 - कीर्तिनगर, टि0 ग0
मो: 9639936710

पत्रांक.....

- सहकारि पत्र -

दिनांक 19/5/2015

सौ. कां.

श्रीमान श्रीमान श्रीमान श्रीमान
जी० पि० वि० कीर्तिनगर

ग्राम - बीजवाड़ी, वरखिला, पी०, बीजवाड़ी मोटर मार्ग की सर्वे के समन्वय,
पार्कना पत्र सेवा में प्रेषित,

प्रति,

निवेदन है कि खन्हरा - बीजवाड़ी मोटर मार्ग से गाँव की सर्वे
- भौगोलिक स्थिति को मध्य नज़र रखते हुए, की जाय, जिससे कि
ग्राम - सेमा बीजवाड़ी का विधि भी पक्का हो जाय नहीं है, पर
सर्वे कुरन्त कराने की महति कुछ करे, हम सभी ग्राम वासि
आपके विभाग के साथ हैं,

समस्त वास्तविक व ग्राम वासि बीजवाड़ी -

- श्रीमान
- राजेंद्र सिंह
- रजुवीर सिंह
- मन्ना सिंह
- रमेश सिंह
- न/लदेव सिंह
- श्री सिंह
- अख्तावर सिंह



प्रतिनिधि सहायक अभियन्ता प्रथम को सर्वेक्षण
रूप शीघ्र सर्वेक्षण कर प्रेषित करने हेतु

प्रतिनिधि प्रमुख

सहायक अभियन्ता

19/5/15

प्रारूप सं० - 1.90

भू-अर्जन प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - डागर, बैजवाड़ी
तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि०मी०)।

स्वीकृति सन्दर्भ :- 6970 / 111(2) / 13-40(प्रा०आ०) / 2013 दिनांक 14.12.2013

विधान सभा देवप्रयाग के विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत खजरा बैजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग 4.00 कि०मी० हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष गांव वालों की सहमति पर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

प्रखण्ड टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत खजरा बैजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिये 1.7675 है० आरक्षित वन भूमि, 0.1050 है० सिविल वन भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.8725 है० का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकी नाप भूमि 0.9275 है० ग्राम पंचायत डागर, बैजवाड़ी के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

उप निमाधकारी
कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

तहसीलदार
कीर्तिनगर (टि० ग०)

प्रतिपक्षीकरण
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
टिहरी गढ़वाल

डागर - बैजवाड़ी
कनुसोल - देवप्रयाग
दिनांक 11-12-2017